Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन**	मुकाम **राजीव गांधी सेवा केन्द्र निम्बाहेडा**

उर्मिला	बनाम	**कंचनदेवी**

किस्मा मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0**	नं0 54	सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.06.2023	वकील प्रार्थी ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र निम्बाहेडा में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0 का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 92 के हाल आराजी संख्या 878, 879 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट0, खाता संख्या 125 के हाल आराजी संख्या 873, 875, 877 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 हैक्ट0, खाता संख्या 188 के हाल आराजी संख्या 881 रकबा 0.11 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 187 के हाल आराजी संख्या 880 रकबा 0.05 हैक्ट0, कृषि भूमि में प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रार्थी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कांकरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 92 के हाल आराजी संख्या 878, 879 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 हैक्ट0, खाता संख्या 125 के हाल आराजी संख्या 873, 875, 877 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 हैक्ट0, खाता संख्या 188 के हाल आराजी संख्या 881 रकबा 0.11 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 187 के हाल आराजी संख्या 880 रकबा 0.05 हैक्ट0, कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जा[illegible] चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं प[illegible] मौका [illegible] मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) [illegible] तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क [illegible] नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधा[illegible] किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया। (अर्चना बुगालिया) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:42:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official